Directorate of Sainik Welfare, Rajasthan State

ORGANISATION AND FUNCTIONS

The Hon'ble Governor of Rajasthan is President of Rajya Sainik Board. The Director is ex-officio Member Secretary of the Rajya Sainik Board. The office of the Directorate of Sainik Welfare, Rajasthan State is a permanent office under Ministry of Sainik Kalyan, Government of Rajasthan. Directorate of Sainik Welfare is functioning directly under administrative control of Sainik Kalyan Vibhag, Government of Rajasthan.

There are 24 Zila Sainik Kalyan Karyalayas under this Directorate, for carrying out welfare activities of Ex-servicemen (ESM) and their families of all the Districts of the State. The locations of above offices are as under:-

S. No.	Name and Address of ZSKK	Jurisdiction	Telephone Number and Email	Sainik Vishram Grah
1.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Ajmer Todarmarl Magr, In front of Revenue Board, Ajmer-305001	District Ajmer	0145—2627972 zska.ajmer@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Ajmer Todarmarl Magr, In front of Revenue Board, Ajmer-305001 Sainik Vishram Grah, Beawer Near Police Kotwali, Beawer (District Ajmer)
2.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Alwar In front of Company Baag, Alwar-301001	Tehsil Alwar, Kotkasim, Tijara, Thanagaji, Kathumar, Laxmangarh, Rajgarh, Raini, Kishangarhbas, Ramgarh, Govindgarh, Malakheda	0144—2338527 zska.alwar@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Alwar In front of Company Baag, Alwar-301001
3.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Behror Dayanand Marg, Near Power House, Behror-301701	Tehsil Behror, Mundawar, Bansur, Neemrana	01494—222084 zska.behror@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Behror Dayanand Marg, Near Power House, Behror-301701 Sainik Vishram Grah, Bansur VPO- Ramnagar, Guta-Bansur Road, Bansur-301416 (District Alwar)
4.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Bhilwara Near Mansarowar Lake, RIICO Road, Patel Nagar Bhilwara-311001	District Bhilwara & Chittorgarh	8619439038 zska.bhilwara@rajasthan.in	Sainik Vishram Grah, Bhilwara Near Mansarowar Lake, RIICO Road, Patel Nagar Bhilwara-311001
5.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Barmer Indira Colony, Barmer-344001	District Barmer	02982—221185 zska.barmer@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Barmer Indira Colony, Barmer-344001
6.	Zila Sainik Kalyan Karyaly, Bharatpur	District Bharatpur & Dholpur		Sainik Vishram Grah, Bharatpur Near Goverdhan Gate,

	Near Goverdhan Gate, Bharatpur		05644-223707 zskkbtp@rajasthan.gov.in	Bharatpur- 321001 Sainik Vishram Grah, Dholpur Near Bhoomi Vikas Bank, GT Road, Dholpur-328001
7.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Bikaner Civil Lines, In front of Gandhi Park, Bikaner-334001	District Bikaner	0151—2226671 zska.bik@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Bikaner Civil Lines, In front of Gandhi Park, Bikaner-334001
8.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Churu Bhaleri Road, Near Police Lines, Churu -331001	District Churu	01562—250948 sainikkalyan.churu@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Churu Bhaleri Road, Near Police Lines, Churu -331001 Sainik Vishram Grah, Rajgarh Sainik Basti, Industrial Area, Rajgarh, Churu-331023
9.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Jaipur C-1, Swai Jaisingh Highway, Banipark, Jaipur-302016	District Jaipur & Dausa	0141—2201487 zska.jaipur@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Jaipur C-1, Swai Jaisingh Highway, Banipark, Jaipur-302016
10.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Jaisalmer In front of Railway Station, Near Ashoka Hotel, Jaisalmer -345001	District Jaisalmer	02992—294720 zska-jai-rj@nic.in	Sainik Vishram Grah, Jaisalmer In front of Railway Station, Near Ashoka Hotel, Jaisalmer -345001 Sainik Vishram Grah, Pokran Bhawanipura, Pokran-345021
11.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Jhunjhunu Near Railway Station, Jhunjhunu	Tehsil Jhunjhunu, Udaipurwati, Navalgarh, Gudagodji, Malsisar, Mandawa	01592-232653 zska.jjn@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Jhunjhunu Near Railway Station, Jhunjhunu
12.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Chirawa Behind of Dalmiya School Sports Ground, Court Road Chirawa- 333026, Dist- Jhunjhunu	Tehsil Chirawa, Surajgarh, Buhana, Khetdi	01596—222880 sainik.chirawa@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Chirawa Behind of Dalmiya School Sports Ground, Court Road Chirawa- 333026, Dist-Jhunjhunu
13.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Jodhpur Near Rai Ka Bagh BusStand/Railway Station, Jodhpur-342006	Tehsil Jodhpur, Osiyan, Bhopalgarh, Bilada, Luni, Tinwari, Bawdi, Bapini, Pipadcity	0291-2650372 zska-jod-rj@nic.in	Sainik Vishram Grah, Jodhpur Near Rai Ka Bagh BusStand/Railway Station, Jodhpur-342006 Sainik Vishram Grah, Osiyan In front of SDO Office, Near Bus Stand, Osiyan -342303 (Dist-Jodhpur)
14.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Shergarh Near Tehsil Office, Shergarh-342022 Dist- Jodhpur	Tehsil Shergarh, Phlodi, Balesar, Sekhala, Dechu, Lohawat, Baap, Aau, Setrawa	02929-243694 zska.shergarh@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Shergarh Near Tehsil Office, Shergarh-342022 Dist- Jodhpur Sainik Vishram Grah, Phlodi Fanta (Kui Jodha) Teh- Balesar-342301 (Dist- Jodhpur)

15.	Zila Saiik Kalyan Karyalaya, Kota Near J K Loan Hospital, In front of Nursing College, Nayapura, Kota -324001	District Kota, Bundi, Jhalawar & Baran	0744-2323712 zska.kota@rajasthan.in	Sainik Vishram Grah, Kota Near J K Loan Hospital, In front of Nursing College, Nayapura, Kota -324001 Sainik Vishram Grah, Jhalawar Behind New Kotwali, Jhalawar-326001
16.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Nagaur Near Railway Crossing, Sanjay Colony, Nagaur -341001	Tehsil Nagaur, Khivsar, Jayal, Degana, Medtacity	01582—240776 sainik.nagaur@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Nagaur Near Railway Crossing, Sanjay Colony, Nagaur -341001
17.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Deedwana Behind LIC, Deedwana-341303 (Dist-Nagaur)	Tehsil Didwana, Ladnu, Nava, Parbatsar, Makrana, Kuchaman	01580-294789 zska-nag-did-rj@nic.in	Sainik Vishram Grah, Deedwana Behind LIC Deedwana-341303, (Dist-Nagaur)
18.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Pali Near Home Guard Traning Centre, Naya Gaon Road, Pali -306401	District Pali, Jalore & Sirohi	02932—225230 zska.pali@rajasthan.in	Sainik Vishram Grah, Pali Near Home Guard Traning Centre, Naya Gaon Road, Pali -306401
19.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Karauli Gadka Ki Chouki, Near Forest Vibhag, Karauli-322241	District Karauli & Sawaimadhopur	07464—297014 zska.karauli@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Karauli Gadka Ki Chouki, Near Forest Vibhag, Karauli-322241 Sainik Vishram Grah, Behind PWD Dak Banglow, Bajariya, Sawaimadhopur-322201
20.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Sikar Near Collectorate, Court Road, Sikar-332001	Tehsil Sikar, Laxmangarh, Fatehpur, Dantaramgarh, Dhod, Ramgarh Shekhawati	01572—254437 zska.sikar@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Sikar Near Collectorate, Court Road, Sikar-332001 Sainik Vishram Grah, Fatehpur Behind BSNL Office, Fatehpur Shekhwati-332301 (Dist- Sikar)
21.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Neem ka Thana, In front of PWD Rest House, Neem ka thana – 332713 (District-Sikar)	Tehsil Neem ka Thana, Srimadhopur, Khandela	01574-231920 zska.nkt@rajasthan.gov.in	Sainik Vishram Grah, Neem ka Thana, In front of PWD Rest House, Neem ka thana – 332713 (District-Sikar)
22.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Tonk 1/17, Housing Board Kolony, In front of Bus Stand, Tonk-304001	District Tonk	01432—294618 zskatonk@rajasthan.gov.in	
23.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Sri Ganganagar	District Sri Ganganagar & Hanumangarh	0154—2442547	Sainik Vishram Grah, Sri Ganganagar Behind Old Govt Hospital, Near Railway Station

	Behind Old Govt Hospital, Near Railway Station Sri Nanganagar-335001		zska.sggnr@rajasthan.gov.in	Sri Nanganagar-335001 Sainik Vishram Grah, Hanumangarh In front of Rajeev Gandhi Stadium, Hanumangarh-335512
24.	Zila Sainik Kalyan Karyalaya, Udaipur C-76, Madhuban, Near Chetak Circle, Udaipur-313001	District Udaipur, Rajsamand, Dungarpur, Banswara & Pratapgarh	0294-2940052 rjko201327014784@rajasthan.in	Sainik Vishram Grah, Udaipur C-76, Madhuban, Near Chetak Circle, Udaipur-313001 Sainik Vishram Grah, Bhim Tehsil Road, Bhim -305921 (Dist-Rajsamand) Sainik Vishram Grah, Rajsamand In frot of Police Lines, Rajsamand - 313324

Veerangana Hostel cum Rehabilitation Centre and Girls' Hostel

1.	Veerangana Hostel cum Rehabilitation Centre, Jaipur	P-8, Sector-2, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302039 Phone No. 01141-2230948	Veerangana -33, Girls - 100
2.	Veerangana Hostel cum Rehabilitation Centre, Sikar	Navalgarh Road, New Housing Board, Shivsingh Pura, Sikar	Veerangana – 20 Boys -75
3.	Veerangana Hostel cum Rehabilitation Centre, Jhunjhunu	Railway Station Road, Jhunjhunu	Veerangana -12, Girls - 60
4.	Veerangana Hostel cum Rehabilitation Centre, Jodhpur	Pali Road, Jodhpur	Veerangana -12, Girls - 64
5.	Girls' Hostel, Kota	Gandhi Nagar, RK Puram, Kota	Girls- 40

Director, Sainik Welfare, Rajasthan State is empowered with administrative and financial control as Head of the Department. Directorate of Sainik Welfare and its District Sainik Welfare Offices are permanent offices of Government of Rajasthan and their employees are declared as Government servants. The expenditure of the department is shared on 40 : 60 basis by the state and the central Government.

FUNCTIONS OF DIRECTORATE SAINIK WELFARE, RAJASTHAN STATE

The main functions of the Directorate are welfare activities of Ex-servicemen and their families and the families of serving personnel of the state. With a view to raise the donation from the citizen for the welfare activities of ex-servicemen, the Armed Forces Flag Day is observed each year on 07 December. The directorate looks after administrative work of all funds for welfare of ex-servicemen. It exercises

control over functioning of District Sainik Welfare offices and also looks after administration, budget and establishment of these offices. As a Head of Department, the director conducts meetings of various committees headed by the Hon'ble Governor of Rajasthan and attends the meeting of Government of India at New Delhi. The directorate prepares and submits proposals to State/Central Governments in the interest of welfare of ESM and their families as per the decision taken in the above meetings. It also renders assistance for employment and self employment to the ex-servicemen through it's District Sainik welfare Offices.

FUNCTION OF DISTRICTS SAINIK WELFARE

This office functions as executive agency to implement welfare schemes for the ex-servicemen and their dependants at the grass root level. The main function encompasses welfare of the families of serving personnel, ex-servicemen and their families residing in all the districts under its jurisdiction. The office also functions as an Employment Exchange for rendering employment and self-employment assistance to the ex-servicemen. The district Sainik Welfare officer is responsible for Conduct of meetings of Zila Sainik Boards under the Chairmanship of respective Collector and President of the Board and taking actions on the decisions taken in the said meeting. It under takes extensive drive for raising Armed Forces Flag Day fund while observing Armed Forces Flag Day each year on 7th December. The district Sainik welfare office is responsible for holding rallies and Sammelans for the ex-serviceman. The office assists ex-servicemen in progressing and settling cases of Military Pension and final settlement of accounts. The office carries out work for sanction of various types of financial assistance under different schemes for the ex-servicemen, their widows and the dependents.

Central and State Government have constituted the following committees for welfare of Ex-servicemen

- A) Committees of the Central Govt., Ministry of Defence, New Delhi :-

    1) Kendriya Sainik Board under the Chairmanship of Hon'ble Defence Minister with Hon'ble Home Minister /concerned Minister of all states as members.
        - Committee of Secretaries / Directors of all Rajya Sainik Board under the Chairmanship of Defence Secretary of Govt. of India.

- (b) Committees of the State Government :-
    1) Rajasthan Rajya Sainik Board under the Chairmanship of the Hon'ble Governor of Rajasthan.
        - Managing committee of Jawan welfare fund.

    2) The Hon'ble Chief Minister's Jawan Welfare Fund.
        - Committee of Zila Sainik Board under the Chairmanship of Collector and President at the Districts level.

BENEFITS GIVEN TO EX-SERVICEMEN

Ex. Servicemen are entitled to receive a number of benefits from the Rajya Sainik Board. These include monthly maintenance grant, monthly maintenance grant to widows, maintenance for children, monthly maintenance to blind / insane and mentally handicapped widows, assistance to world war-II widows, etc. Besides, ex- servicemen are given many benefits from Rajasthan State also. These include age relaxation in employment, reservation in class-III and class-IV posts, reservation of seats in educational institutes, medical facilities, rehabilitation benefits, opportunity for self- employment and various awards/rewards for the outstanding performance.

Further details about the organization can be accessible from the following address

Directorate of Sainik Welfare, Rajasthan State,
Room No 7225, Food Building,
2nd Floor, Secretariat,
Jaipur, Rajasthan.

No.1(1) Constitution/Pol/KSB/A

Government of India
Kendriya Sainik Board
West Block IV, Wing 5,
RK Puram, New Delhi - 110 066.

09 May 94

All Directors, Deptt of Sainik Welfare
Secretaries, Rajya Sainik Boards
States/ UTs.

Subject: - CONSTITUTION OF RAJYA & ZILA SAINIK BOARDS

1. A number of queries have been raised by some States at various times in regard to the constitution/composition of the Rajya & Zila Sainik Boards, tenure of non-official members etc. This letter is, therefore, being issued with a view to clarify the position.

2. In accordance with the decision taken at the Xth Meeting of the Kendriya Sainik Board held on 09 Jan 1975 the Sainik Board Organisation is responsible for resettlement of ex-Servicemen besides their traditional welfare tasks. Therefore, wherever the constitution of Rajya and Zila Sainik Boards are desired to be reviewed, this aspect may be kept in view and officials of Government Department dealing with employment, industries, co-operatives and other developmental activities may need to be inducted as ex-officio members on the Boards.

3. Governor of the State is normally the President of the Rajya Sainik Board otherwise the Chief Minister is nominated as the President and the GOC-in-C Commands in which the State is located is the Vice-President. F. O's/ AOs C-in-C Command may be included as additional Vice-Presidents as has been done by some States. If for any reason the GOC-in-C is unable to attend the meeting he will send a representative not below the rank of Brigadier. The representative will, however, not act as Vice-President.

4. As for the non-official members, these may include ex-Servicemen (both ex-Officers and JCOs/ORs) who are known to take an active and keen interest in matter of recruitment to the Armed Forces and welfare & resettlement of ex-servicemen and their families, prominent industrialists/financiers/social welfare workers/Members of State Legislature etc.

5. Non-official members should normally be nominated for a period of not more than three years. In regard to the tenure of members of the State Legislature nominated as non-official members of the Boards, they may be allowed to continue for so long as they retain their seats on the State legislature or the terms of the State legislature itself whichever is earlier.

6. Please acknowledge.

Sd/-
(K. Sridharan)
Secretary, Kendriya Sainik Board

Copy to: -

Directors, Resettlements Zones.

COMPOSITION OF RAJYA SAINIK BOARD

PRESIDENT
Governor/Chief Minister

VICE PRESIDENT (S)
GOC-in-C Command
FOC-in-C Command
AOC-in-C Command

EX-OFFICIAL MEMBERS

State Ministers
Heads of Departments
Local Formation Commanders
Director Resettlement Zones

NON-OFFICIAL MEMBERS
Four Ex-Servicemen
Two Prominent Citizens

SECRETARY
Secretary, Rajya Sainik Board

Note 1: - (a) DGR/Secretary KSB are special invitees at the meetings.

(b) The Ex-Officio Members nominated in RSB should be the officials from various Government Department dealing with employment, industries, co-operatives and other development activities.

(c) Out of total of six non-official members in RSB, four should be ex-Service personnel of various ranks and if possible, from the three Services and two should be out of local industrialists, financiers, social workers and MLAs.

Note 2: - As per the policy of MoD, in case of nomination of State Govt Ministers in the RSBs, all officials other than the President will be made the members. The appointment of non-official members and Secretary will, however, be treated separately.

COMPOSITION OF RAJYA SAINIK BOARD RAJASTHAN

A	President	1.	Governor
B	Senior Vice President	2.	Chief Minister
C	Ex officio Vice President	3.	Sainik Welfare Minister
	Vice President	4.	FOC-in-C, Western Naval Command, Mumbai
	Vice President	5.	GOC-in-C, South western Command, Jaipur
	Vice President	6.	AOC-in-C, South Western Air Command, Gandhi Nagar, Gujrat
D	Members	7.	Chief Secretary, Rajasthan
		8.	Principal Secretary, Revenue and Sainik Kalyan Vibhag
		9.	Principal Secretary, Industry Department
		10.	Principal Secretary, Primary and Secondary Education Deptt.
		11.	President, Rajasthan State Road Transport Corporation
		12.	Principal Secretary, Urban Development and Housing Deptt.
		13.	Principal Secretary, Food and Ration Department
		14.	Principal Secretary, Department of Personnel
		15.	Principal Secretary, Department of Transport
		16.	Principal Secretary, Department of Energy
		17.	Director General of Police
		18.	Director General of Re-settlement, New Delhi
		19.	GOC 61 Sub Area
		20.	Representative of DESW , Min of Defence, Govt of India
		21.	Commissioner, Colonization Deptt., Bikaner
		22.	Director, Labor & Employment Department
		23.	Director, Resettlement, Southern Zone, Pune
		24.	Additional Chief Secretary, Finance Department, Jaipur
		25.	Principal Secretary, Home Department, Jaipur
E	Non-Official Members	26.	Vacant
		27.	Vacant
		28.	Vacant
		29.	Vacant
		30.	Vacant
		31.	Vacant
F	Secretary	32.	Director, Sainik Kalyan Vibhag, Rajasthan

Note :-

1.Non official members post are vacant and fresh nominations for post are under process.

2.DGR and Secretary KSB are special invitees at the meetings.

COMPOSITION OF AMALGAMATED FUND MANAGEMENT COMMITTEE

1.	Governor	President
2.	Chief Minister	Senior Vice President
3.	Sainik Welfare Minister	First Vice President
4.	GOC-in-C South Western Comd	Second Vice President
5.	**Member Nominated by the Chief of the Army Staff Appointed for two years from 01-01-2020** Brig Mohan Singh Shekhawat YSM, SM(Retd) G-1, Gurudev Residency-37, Green Colony, Moti Nagar, Vaishali, Jaipur	Member
6.	Brig A K Gupta (Retd) E-30, ansal Sushant City,Machawa, Kalwar Road, Jaipur	Member
7.	**Member Nominated by the State Govt Appointed for two years from 12-10-2021** Lt General Gyan Bhushan (Retd) House No. M/24, Bariatu Housing Colony, Ranchi, Jharkhand - 834009	Member
8.	Capt Mahendra Mathur, Jodhpur (Retd) Saket colony, Residency Rd, Jodhpur, Rajasthan-3420011	Member
9.	Representative of Defence Ministry Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence, New Delhi	Member
10.	Representative of Directorate of Resettlement/Kendriya Sainik Board (KSB) Ministry of Defence, New Delhi	Member
11.	Chief Secretary or his Representative	Member
12.	Principal Secretary, Department of Urban Development and Housing.	Member
13.	Principal Secretary, Revenue and Sainik Kalyan Vibhag	Member
14.	Principal Secretary, Social Justice and Empowerment Deptt.	Member
15.	Director, Sainik Kalyan Vibhag, Rajasthan	Secretary

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प. 44(1)रासेबो / 96 / 8712-37 दिनांकः– 25 / 09 / 2020

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(समस्त)————————————

विषयः–अमलगमेटेड फन्ड से अंधे, अपंग, बहरे, गुंगे या मानसिक रुप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नि एवं बच्चों को आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2020 को आयोजित अमलगमेटेड फन्ड की 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में यह नवीन योजना प्रारम्भ की गई हैं जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैंः–

बिन्दु संख्या–2 :– अंधे, अपंग, बहरे, गुंगे या मानसिक रुप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नि एवं बच्चों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता।

"प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की कि सिपाही से हवलदार रैंक तक के ऐसे पूर्व सैनिक और उनके परिवार जिन्हें सेना से डिसेब्लिटी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हैं, को निम्नानुसार सहायता राशि 3 वर्षों के लिये प्रदान की जावे, जिसका नवीनीकरण उसके बाद समय–समय पर किया जावेगा–

क्र.सं.	डिसेब्लिटी का प्रतिशत	प्रस्तावित आर्थिक सहायता	वरियता
1.	40 प्रतिशत परन्तु 60 प्रतिशत से कम	1000 रुपये प्रतिमाह	तृतीय वरियता
2.	60 प्रतिशत परन्तु 80 प्रतिशत से कम	2000 रुपये प्रतिमाह	द्वितीय वरियता
3.	80 प्रतिशत एवं अधिक	3000 रुपये प्रतिमाह	प्रथम वरियता

इस सम्बन्ध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक नियमावली जारी की जावे ताकि अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिक परिवार लाभान्वित हो सकें।"

अतः उपरोक्त नवीन योजना हेतु निम्नलिखित नियम जारी किये जाते हैंः–

2 / –

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर–302005
Email-rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
दूरभाष संख्या 0141–2227650, 0141–2227897

पात्रता

1. आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो में हो अथवा पूर्व सैनिक के परिवार का सदस्य हो। हवलदार अथवा उससे नीचे की रैंक का पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक के परिवार का सदस्य जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, ही आवेदन का पात्र है।

2. पूर्व सैनिक सेना का पेन्शनर अथवा नोन पेन्शनर हो सकता हैं लेकिन यदि पूर्व सैनिक की सेना से अपंगता पेन्शन (Disability Pension) हैं एवं उसे पेन्शन का अपगंता तत्व प्राप्त हो रहा हैं तो वह स्वयं की अपंगता के आधार पर स्वयं हेतु आर्थिक अनुदान के लिए आवेदन का पात्र नहीं होगा। परन्तु ऐसा पूर्व सैनिक अपने परिवार के विकलांग सदस्य जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक है, के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

3. पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिक की विधवा के जीवित होने की स्थिति में आवेदन उसके स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जायेगा। उन दोनों के जीवित न होने पर परिवार के विकलांग सदस्य तथा यदि वह आवेदन करने में असमर्थ है तो परिवार के अन्य सदस्य/संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जायेगा।

4. परिवार के सदस्य में माता–पिता शामिल नहीं हैं। पत्नि/विधवा के अलावा पुत्र/पुत्री शामिल हैं।

5. पूर्व सैनिक की अपंगता सेना सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृति के बाद होने पर मान्य होगी।

6. विकलांग पत्नि/पुत्र/पुत्री का नाम डिस्चार्ज बुक में अथवा पार्ट 2 आर्डर अनिवार्य होगा।

7. यह आर्थिक सहायता विकलांगता के आधार पर पात्र आवेदन–कर्ताओं को प्रथम बार में तीन वर्ष के लिये स्वीकृत की जावेगी तथा आवेदक को तीन वर्ष पश्चात पुनः आवेदन कर नवीनीकरण करवाना होगा।

3/–

8. आर्थिक सहायता विकलांगता पर देय होगी अर्थात विकलांग पूर्व सैनिक अथवा उसके परिवार के विकलांग सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता बंद कर दी जावेगी।

9. योजना में कभी भी लाभार्थियों की संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

10. पूर्व सैनिक सहित परिवार के दो सदस्यों से अधिक को देय नहीं होंगी।

11. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की अनुशंसा अनिवार्य होगी।

12. जिस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का जारी किया हुवा पूर्व सैनिक/विधवा परिचय पत्र होगा उसी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

13. यह योजना दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होगी तथा आवेदक को आवेदन स्वीकृति आदेश माह की प्रथम तिथी से आर्थिक सहायता देय होगी।

14. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

प्रकिया

आवेदक को आवेदन इस हेतु निर्धारित फॉर्म में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो अपनी जांच एवं सिफारिश के साथ मासिक आधार पर निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवायेगा जहां प्रत्येक 06 माह में इस हेतु गठित कमेटी में आवेदन की जांच कर पात्र पाये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन के साथ डिस्चार्ज बुक/सर्विस पार्टीक्युलरस्, सक्षम चिकित्सा अधिकारी का विकलागंता प्रमाण पत्र, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक/विधवा/आश्रित परिचय पत्र/प्रमाण पत्र, पी.पी.ओ, पूर्व सैनिक अथवा उसकी विधवा की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आवेदक के आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति लगाना अनिवार्य हैं।

4/–

आर्थिक सहायता की दर

आर्थिक सहायता की दर निम्नानुसार होगीः—

क्र.सं.	डिसेब्लिटी का प्रतिशत	प्रस्तावित आर्थिक सहायता	वरियता
1.	80 प्रतिशत एवं अधिक	3000 रुपये प्रतिमाह	प्रथम वरियता
2.	60 प्रतिशत परन्तु 80 प्रतिशत से कम	2000 रुपये प्रतिमाह	द्वितीय वरियता
3.	40 प्रतिशत परन्तु 60 प्रतिशत से कम	1000 रुपये प्रतिमाह	तृतीय वरियता

भुगतान का प्रकार

स्वीकृत प्रकरणों की राशि वितरण हेतु 06 माह में एक बार भुगतान हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भिजवाई जायेगी जहां ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा तथा भुगतान किये जाने की सूचना निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवानी होगी।

भवदीय,

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग

प्रतिलिपीः—

1—संबंधित लिपिक

2—लेखाकार फन्ड

निदेशक

<u>अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिक अथवा उसके परिवार को विकलांगता के लिये मासिक आर्थिक सहायता हेतु आवेदन का प्रपत्र (हवलदार अथवा उससे निम्न रैंक का पूर्व सैनिक अथवा उसके परिवार का सदस्य)</u>

1. आवेदक पूर्व सैनिक / विधवा का नाम

2. पूर्व सैनिक के आर्मी नम्बर, रैंक एवं नाम

3. विकलांग का नाम, जन्मतिथि एवं पूर्व सैनिक से सम्बन्ध

4. विकलांगता की प्रकृति एवं प्रतिशतता

5. क्या विकलांगता कार्ड की छाया प्रति संलग्न हैं हां / नहीं

6. वर्तमान पता

7. स्थाई पता

8. मोबाईल नम्बर एवं ईमेल पता

9. पूर्व सैनिक / विधवा पेंशनर है अथवा नोन पेंशनर

10. मूल पेंशन एवं पी.पी.ओ नम्बर

11. क्या विकलांग कहीं नियोजित है अथवा नहीं

12. पूर्व सैनिक की भर्त्ती की तिथि डिस्चार्ज की तिथि

13. पूर्व सैनिक की सेवा मुक्ति का कारण

14. क्या परिवार में अन्य कोई विकलांग सदस्य हैं यदि हां तो उसका नाम तथा उम्र एवं क्या उसके लिये भी आवेदन किया हैं

15. पूर्व सैनिक / विधवा एवं विकलांग का आधार नम्बर पूर्व सैनिक / विधवा–

    विकलांग–

16. पूर्व सैनिक / विधवा का बैंक विवरण बैंक का नाम–

    शाखा–

खाता संख्या–

आई.एफ.एस.सी कोड–

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही हैं एवं मेंने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया हैं।

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जांच एवं अनुशंसा

मेंने आवेदन के तथ्यों की जांच कर ली हैं तथा मैं यह प्रमाणित करता हूॅ कि सभी तथ्य सही हैं। आवेदन नियमानुसार सही हैं तथा आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

दिनांकः–

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर के प्रतिहस्ताक्षर

आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता हैंः–

अस्वीकृति का कारणः–

दिनांक

निदेशक

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— प. 44(1)रासेबो/96/ 8660-85 दिनांकः— 25/09/2020

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(समस्त)————————

विषय :—व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृति राशि में बढोतरी।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि अमलगमेटेड फन्ड की माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा हेतु छात्रवृति की योजना में संशोधन किया गया हैं जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैंः—

बिन्दु संख्या— 3 :—व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृति राशि में बढोतरी।

"प्रस्ताव पर विचार—विमर्श के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के ऐसे बच्चे जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्हें प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत तथा अन्य किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत नहीं है, को 15000/—रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। प्रतिवर्ष अधिकतम 50 बच्चों को मैरिट के आधार पर यह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक नियमावली जारी की जावेगी।"

अतः पूर्व सैनिकों के व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को अमलगमेटेड फन्ड से छात्रवृति हेतु निम्नलिखित नियम जारी किये जाते हैंः—

पात्रता

1. आवेदक हवलदार या उससे निम्न रैंक का पूर्व सैनिक अथवा उसकी विधवा/ आश्रित हों।

2/—

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर—302005
Email-rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
दूरभाष संख्या 0141—2227650, 0141—2227897

2. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना में शामिल व्यावसायिक एवं तकनीकी कोर्स हेतु ही देय होगी जिसका विवरण केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली के वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर पी.एम स्कोलरशिप (PMSS) के तहत देखा जा सकता हैं।

3. छात्रवृति उत्त्तीर्ण वर्ष (Passing year) की देय होगी अर्थात प्रथम वर्ष की छात्रवृति द्वितीय वर्ष में देय होगी। इसी प्रकार द्वितीय वर्ष की छात्रवृति तृतीय वर्ष में देय होगी।

4. छात्रवृति मेरिट आधार पर प्रति वर्ष 50 बच्चों को देय होगी।

5. एक बार चयन होने के बाद कोर्स के शेष वर्षों के लिये देय होगी। प्रति वर्ष परिणाम घोषित होने की दिनांक से 01 वर्ष की समय सीमा में निर्धारित आवेदन प्रपत्र में नवीनीकरण के लिये मूल अंकतालिका की प्रति के साथ उसी प्रकार पुनः आवेदन करना होगा, यदि विश्वविद्यालय द्वारा मार्कशीट अंतिम वर्ष के बाद जारी की जाती हो तो संस्थान का जारी किया हुआ कक्षा उत्त्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुतीर्ण होने पर छात्रवृति पूरे कोर्स के लिये निरस्त हो जायेगी।

6. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना अथवा अन्य किसी छात्रवृति योजना का लाभ प्राप्त नहीं करने पर ही देय होगी।

7. बैटल केज्युलटी/अपंगता एवं फिजीकल केज्युलटी (आरोपणीय मामले) के प्रकरण में यह छात्रवृति देय नहीं होगी चुंकि इन मामलों में सेना मुख्यालय द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाती हैं जो ज्यादा लाभदायक हैं।

8. एक पूर्व सैनिक के दो से अधिक बच्चों को देय नहीं होगी।

9. यह नियम दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होंगे।

10. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

3/—

प्रकिया

प्रति वर्ष सितम्बर माह में निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर आवेदन इस हेतु निर्धारित फॉर्म पर आमन्त्रित किये जायेगें। आवेदन 30 नवम्बर तक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच कर अपनी सिफारिश के साथ 31 दिसम्बर तक निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवाना होगा जहां आवेदन की जांच एवं स्वीकृति हेतु कमेटी गठित कर 31 मार्च तक छात्रवृति स्वीकृत कर दी जायेगी। छात्रवृति आवेदन के साथ आवेदक को डिस्चार्ज बुक, पूर्व सैनिक/विधवा परिचय पत्र, गत वर्ष की अंकतालिका, अन्य कहीं से छात्रवृति प्राप्त नहीं करने का स्व प्रमाण पत्र, पी.पी.ओ. एवं बैंक पास बुक की प्रति लगानी होगी।

छात्रवृति की दर

छात्रवृति की दर रु 15000/—मात्र प्रति छात्र प्रति वर्ष होगी।

भुगतान का प्रकार

स्वीकृत राशि भुगतान हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भिजवाई जायेगी जहां एक माह में आवेदक पूर्व सैनिक/विधवा/आश्रित को ऑनलाईन भुगतान कर भुगतान की सूचना निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवानी होगी।

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग

प्रतिलिपीः—

1—संबंधित लिपिक

2—लेखाकार फन्ड

निदेशक

छात्रवृत्ति प्रार्थना–पत्र

अमलगमेटेड फन्ड फार दी बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमेन

(हवलदार अथवा उससे निम्न रैंक के पूर्व सैनिकों के तकनीकी एवं व्यावसायिक डिग्री कोर्स प्राप्त कर रहे बच्चों के लिये)

पहला भाग (विद्यार्थी के लिये)

1. विद्यार्थी का नाम (लड़का/लड़की) –

2. पिता का नाम –

3. पिछले सैशन में कौनसी कक्षा में था/थी –

   (अंक तालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

4. चालू सैशन में कौनसी कक्षा में पढता है/पढती है–

5. कोर्स एवं ब्रांच का नाम –

6. कॉलेज/संस्थान का नाम व पता –

7. क्या पहले इस फन्ड से छात्रवृत्ति मिलती थी? यदि

   मिलती थी तो कौनसी कक्षा में

8. यदि छात्र के भाई या बहन को इस फन्ड से छात्रवृत्ति

   मिली तो उसका नाम तथा कब और कौनसी कक्षा में मिली

9. विद्यार्थी को किसी और संस्था से छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं–

तारीख प्रिंसीपल के हस्ताक्षर मय दफ्तर की सील के

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

तारीख

दूसरा भाग

(पिता व संरक्षक के लिये)

---

1. नम्बर, रैंक व नाम

2. पता

3. सेवा का विवरण (क) भर्ती होने की तारीख——————————(ब) मुक्त होने की तारीख————————— (ग) मुक्त होने का कारण————————————————————————

4. मोबाईल नम्बर एवं ईमेल पता

5. पूर्व सैनिक का बैंक विवरण (क) बैंक का नाम

(ख) शाखा का नाम

(ग) खाता संख्या

(घ) आई.एफ.एस.सी कोड

5. बच्चे से रिश्तेदारी

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त विवरण बिल्कुल सही है और मेरे पुत्र/पुत्री को अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।

तारीख

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक/माता

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं सिफारिश

मैंने प्रार्थी के पिता का मुक्ति प्रमाण–पत्र पूर्ण तौर से देख लिया है और मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर पद के अन्तर्गत दिये हुए विवरण सही हैं। मैं छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने की सिफारिश करता हूं।

तारीख

पद सहित हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प. 44(1)रासेबो/96/ 8764-89 दिनांकः– 25 /09/2020

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(समस्त)—————————

विषयः–कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि में बढोतरी।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता का प्रावधान किया हुआ था जिसमें समय–समय पर विभिन्न संशोधन किये जाते रहे हैं। वर्तमान में केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा रुपये 50000/–मात्र प्रति कन्या सहायता पूर्व सैनिक एवं विधवा को एवं सेना मुख्यालय, नई दिल्ली, द्वारा बैटल केज्युलटी एवं फिजीकल केज्युलटी के प्रकरणों में रु 1.00 लाख मात्र की आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की कन्या विवाह सहायता पूर्व सैनिक के प्रथम दो बच्चों (लड़की होने पर) तक एवं विवाह की तिथी से 06 माह में आवेदन करने पर देय हैं।

अमलगमेटेड फन्ड की माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिकों की विधवाओं को कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया गया हैं जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैंः–

बिन्दु संख्या–5ः–कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि में बढोतरी

"प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से इस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही हैं। अतः पूर्व सैनिकों को इस प्रकार की सुविधाओं से अवगत करवाया जाये।

माननीय राज्यपाल महोदय ने पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी दो पुत्रियों के विवाह हेतु 15000/–रुपये प्रति कन्या आर्थिक अनुदान को बढाकर 25000/–रुपये किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। अधिकतम आय सीमा के प्रतिबन्ध को हटाकर यह राशि सिपाही से हवलदार रैंक तक की सिर्फ उन्हीं विधवाओं को प्रदान किया जावेगा जिनके द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की हो तथा पुत्री के विवाह की

2/–

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर–302005
Email-rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
दूरभाष संख्या 0141–2227650, 0141–2227897

तिथी से एक वर्ष की अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो।"

अतः उपरोक्त संशोधन अनुसार पूर्व सैनिकों की विधवाओं को अमलगमेटेड फन्ड से कन्या विवाह सहायता हेतु निम्नलिखित नियम जारी किये जाते हैं :–

पात्रता

1. आवेदक हवलदार या उससे निम्न रैंक के पूर्व सैनिक की विधवा हो।

2. पूर्व सैनिक की विधवा की अधिकतम दो पुत्रीयों तक को ही स्वीकार्य हैं।

3 विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

4. शादी की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना अनिवार्य हैं।

5. बैटल केज्युलटी/फिजीकल केज्युलटी (आरोपणीय मामले) की विधवाएं पात्र नहीं होगी चुँकि इन मामलों में सेना मुख्यालय द्वारा विवाह सहायता हेतु दी जाने वाली सहायता राशि ज्यादा लाभदायक हैं तथा उसमें भी एक वर्ष में आवेदन करने का नियम हैं।

6. कन्या का डिस्चार्ज बुक में नाम अथवा पार्ट–2 आदेश होना अनिवार्य हैं।

7. जिस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का जारी किया हुआ पूर्व सैनिक/विधवा परिचय पत्र होगा उसी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

8. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की पूर्व सैनिकों हेतु संचालित पुत्री विवाह सहायता योजना में पात्र होने पर अमलगमेटेड फन्ड से आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

9. भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूर्व सैनिक की परिभाषा में आने वाले पूर्व सैनिक की विधवा को ही देय होगी।

10. यह योजना दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी होगी।

11. राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

3/–

प्रकिया

आवेदन इस हेतु निर्धारित फॉर्म में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो अपनी जांच एवं सिफारिश के साथ निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवायेगा जहां प्रत्येक 06 माह में इस हेतु गठित कमेटी में आवेदन की जांच कर पात्र पाये जाने पर स्वीकृत किया जायेगा। आवेदन के साथ डिस्चार्ज बुक/सर्विस पार्टीक्युलरस्, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक विधवा परिचय पत्र, पी.पी.ओ, कन्या का जन्म तिथी प्रमाण पत्र, अन्य कहीं से विवाह सहायता नहीं लेने का स्व प्रमाण पत्र, पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा के आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति लगाना अनिवार्य हैं।

कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता की दर

प्रति कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता (अधिकतम दो पुत्रीयों तक) की दर रु 25000/—मात्र देय होगी।

भुगतान का प्रकार

स्वीकृत प्रकरणों की राशि वितरण हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को भिजवाई जायेगी जहां आनलाईन भुगतान किया जायेगा तथा भुगतान किये जाने की सूचना निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर को भिजवाई जायेगी।

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग

प्रतिलिपिः—
1—संबंधित लिपिक
2—लेखाकार फन्ड

निदेशक

अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिकों की विधवाओं को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन प्रपत्र (हवलदार अथवा उससे निम्न रैंक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को अधिकतम दो पुत्रियों तक देय हैं।)

1. विधवा का नाम एवं उम्र

2. पूर्व सैनिक का नम्बर, रैंक व नाम

3. पूर्व सैनिक की मृत्यु की तिथि

4. मोबाईल नम्बर एवं ईमेल पता

5. विधवा का आधार नम्बर

6. मूल पेंशन एवं पी.पी.ओ संख्या

7. वर्तमान पता

8. स्थाई पता

9. पुत्री/पुत्रीयों का नाम एवं जन्मतिथि

(जिसके विवाह सहायता हेतु आवेदन किया हैं)

10. विवाह की तिथि

11. विधवा का बैंक विवरण बैंक का नाम

शाखा का नाम

खाता संख्या

आई.एफ.एस.सी कोड

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सही हैं एवं मेंने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया हैं।

दिनांक

विधवा के हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की जांच एवं अनुशंसा

मेंने आवेदन के तथ्यों की जांच कर ली हैं तथा मैं यह प्रमाणित करता हूॅं कि सभी तथ्य सही हैं। आवेदन नियमानुसार सही हैं तथा आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

दिनांकः–

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राज., जयपुर के प्रतिहस्ताक्षर

आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता हैं:–

अस्वीकृति का कारणः–

दिनांक

निदेशक

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—प—19(3)सैकवि / 98 / 8686-711 दिनांकः- 25 / 09 / 2020

—: कार्यालय आदेश :—

अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स—सर्विसमेन की 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार फन्ड से पूर्व सैनिकों के बच्चे जिनके द्वारा सी.डी.एस / एनडीए / आईएमए / ओटीए / एयर फोर्स / नेवल एकेडमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विभाग के पत्र क्रमांक 14154—70 दिनांक 28.11.1998 द्वारा वर्तमान में दी जा रही एकमुश्त कोचिंग कक्षा अनुदान की राशि रु 5000 / —मात्र को बढाकर रु 15000 / —मात्र किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह आदेश 01 जुलाई, 2020 को या इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू माना जायेगा।

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग
राज., जयपुर

प्रतिलिपीः—
1—जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
2—संबंधित लिपिक
3—लेखाकार फन्ड

निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर 302005
Email - rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
☎ - 0141-2227650, 0141-2227897

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—प—19(3)सैकवि / 98 / 8738-63 दिनांकः—25 / 07 / 2020

<u>—: कार्यालय आदेश :—</u>

अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स—सर्विसमेन की 30वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 23 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार फन्ड से पूर्व सैनिकों / विधवाओं / आश्रितों जो सामाजिक / पारिवारिक / प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हो, को वर्तमान में एकमुश्त 18000 / —रुपये आर्थिक सहायता राशि को निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं :—

1. अध्यक्ष, अमलगमेटेड फन्ड — रु 30000 / —मात्र
2. अध्यक्ष, उपसमिति अमलगमेटेड फन्ड — रु 30000 / —मात्र
3. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग — रु 1000 / —मात्र

यह आदेश 01 जुलाई, 2020 से लागू माना जायेगा।

(ब्रिगेडियर (से.नि.) करण सिंह राठौड़)
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग
राज., जयपुर

प्रतिलिपीः—
1—जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
2—संबंधित लिपिक
3—लेखाकार फन्ड

निदेशक

सैनिक कल्याण विभाग, कमरा नं. 7225, खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, सचिवालय, जयपुर 302005
Email - rajasthan.sainik@rajasthan.gov.in
☏ - 0141-2227650, 0141-2227897

सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान

कल्याणकारी योजनाएं –

1. प्रदेश की वीरांगनाओं को विशेष पहचान पत्र
2. द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर को वित्तीय सहायता
3. सम्मान भत्ता
4. प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सुविधाएँ
5. शौर्य पदक धारकों को सुविधाएँ
6. भूमि आवंटन हेतु नवीन नियम
7. पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दोहरी पेंशन'
8. नियोजन हेतु आरक्षण
9. सेना में 15 साल की सेवा नियोजन के लिये ग्रेजुएट के समकक्ष
10. नियोजन हेतु अवसरों में वृद्धि
11. पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधायें
12. टेट्रा प्लेजिक/पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिकों को सहायता
13. 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड'
14. वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र तथा बालक/बालिका छात्रावास
15. सैनिक विश्राम गृह
16. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ अमगलमेटेड फण्ड
17. अमलगमेटेड फण्ड से देय सहायता/सुविधाएँ
18. ध्वज दिवस
19. जिला सैनिक बोर्ड
20. गौरव सेनानियों की रैलियाँ
21. सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए ''भूतपूर्व सैनिक हेल्प लाईन''
22. सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए कॉल सेन्टर
23. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुविधाएँ

राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर

पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणकारी कार्यों के सम्पादन के लिए वर्ष 1919 में 'राजपूताना इंडियन सोलजर्स बोर्ड' (Rajputana Indian Soldiers Board) की स्थापना हुई। वर्ष 1950 में राज्य सैनिक बोर्ड का गठन कर इसे राजस्थान सरकार के अधीन स्थाई विभाग घोषित किया गया तथा दिनांक 28.12.1994 को राज्य सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर इसे सैनिक कल्याण विभाग कर दिया गया। इसी प्रकार जिला स्तर पर संचालित जिला सैनिक बोर्ड का नाम परिवर्तन कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कर दिया गया। पूर्व सैनिकों को रोजगार / स्व–रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ–साथ विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों / नियमों के अनुसार सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना इस विभाग का मुख्य उद्धेश्य है। इस हेतु प्रदेश के 33 जिलों में 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। विभाग द्वारा प्रदेश के सशस्त्र सेनाओं के शहीदों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाऐं संचालित करने तथा उन्हें सुविधायें प्रदान करने के साथ–साथ दिनांक 01 अप्रैल 1999 एवं इसके पश्चात सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सी ए पी एफ) तथा भारतीय तटरक्षक बल के शहीद कार्मिकों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।

प्रदेश के गौरव सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, उनके परिजनों तथा गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को राजस्थान सरकार द्वारा देय सुविधाऐं

1. **प्रदेश की वीरांगनाओं को विशेष पहचान पत्र –** शहीद की वीरांगना को सैनिक कल्याण विभाग द्वारा विशेष पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस पहचान पत्र को सरकारी कार्यालयों में दिखाए जाने पर वीरांगनाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है तथा उनके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाता है।

2. **द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर को वित्तीय सहायता –** द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) में भाग लेने वाले सैनिक / सैनिकों की विधवाऐं, जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से कोई पेंशन / सहायता नहीं मिल रही है, को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे 10000 रूपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है। यह वित्तीय सहायता बैंक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रतिमाह दिये जाने की सुविधा है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **सम्मान भत्ता –** दिनांक 01.04.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं काउन्टर इन्सरजेंसी ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं को राज्य सरकार 5000 रूपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त सम्मान भत्ता अविवाहित शहीदों के माता–पिता को भी देय है। सम्मान भत्ता बैंक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हर माह दिए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. **प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सुविधाएँ –**

   (अ) **दिनांक 01.04.1999 से पूर्व शहीद सैनिकों के परिजनों को सुविधाएँ –** 01 अप्रैल 1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों / काउण्टर इन्सरजेंसी / काउण्टर टेररिस्ट ओपरेशनों में प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों को निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं –

   (क) **कृषि भूमि का आवंटन –** दिनांक 01.04.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को 1500/– रूपये से 10,000/– रूपये नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि आवंटन का प्रावधान है। आवेदन के लिए अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर बैटल कैजुअलिटी रिपोर्ट संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) **शहीदों के परिजनों को नियोजन** – 15 अगस्त 1947 से 31.12.1970 के दौरान शहीद सैनिक के कुटुम्ब के एक सदस्य को नियोजन तथा वर्ष 1971 से 31.3.1999 के दौरान विभिन्न युद्धों एवं काउण्टर इन्सरजेंसी ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं स्थायी युद्ध विकलांग सैनिकों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है।

(ग) **शहीदों के परिजनों को विद्युत कनेक्शन** – राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971 में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को कृषि कार्यो हेतु विद्युत कनेक्शन 'आउट ऑफ टर्न' दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन वीरांगनाओं के स्वयं के नाम पर कृषि भूमि नही है तो शहीद के पिता के नाम की भूमि पर विद्युत कनेक्शन जारी किया जावेगा।

(घ) **निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति**– भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं 1971 में शहीद सैनिक के आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। स्कूल स्तर रूपये 1800/– एवं कालेज स्तर पर रूपये 3600/– छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है ।

(ब) **दिनांक 01.04.1999 से पूर्व स्थाई युद्ध विकलांग सैनिकों एवं उनके परिजनों को सुविधाएँ** – 01 अप्रैल 1999 से पूर्व विभिन्न काउण्टर इन्सरजेंसी ओपरेशनों तथा युद्धों में प्रदेश के स्थायी युद्ध विकलांग सैनिकों को निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं –

(क) **नकद राशि एवं कृषि भूमि का आवंटन** – स्थायी विकलांग सैनिकों को पच्चीस हजार रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज –II) भूमि दिए जाने का प्रावधान है।

(ख) **स्थायी विकलांग सैनिक अथवा उसके परिजन को नियोजन** – स्थाई युद्व विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र / पुत्री को वेतनमान 1 से 9 तक में नियोजन दिए जाने का प्रावधान है।

(स) **दिनांक 01.04.199 एवं इसके पश्चात शहीद सैनिकों के परिजनों को सुविधाएँ (कारगिल पैकेज)**– दिनांक 01.04.1999 एवं उसके बाद शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों/स्थाई रूप से विकलांग हुए सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज देय है । उक्त सुविधा राज्य के मूल निवासी सशस्त्र बलों/केन्द्रीय आर्म्ड पुलिस बलों (सी ए पी एफ) के ऐसे सदस्य, जो विद्रोह की जवाबी कार्रवाईयों और आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाहियों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में शहीद सैनिकों / स्थाई रूप से अशक्त हुये सैनिकों को देय है जिनकी मृत्यु/स्थाई रूप से अशक्तता को यूनिट द्वारा बैटल कैजुअल्टी घोषित किया जाता है। स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों में उन्हीं सैनिकों को राज्य सरकार की सुविधा देय है जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है एवं जो विकलांगता के कारण मेडिकल बोर्ड आउट कर दिये गये हो ।

कारगिल पैकेज निम्नानुसार है :–

(क)	**शहीद की वीरांगना को आर्थिक लाभ**	25 लाख रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज II) या 25 लाख रूपये तथा हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एम.आई.जी. श्रेणी का मकान या 50 लाख रूपये नकद
(ख)	**माता पिता को आर्थिक लाभ**	अल्प बचत योजना की मासिक आय योजना में माता–पिता के नाम से 5.00 लाख रूपये की सावधि जमा।
(ग)	**नियोजन**	शहीद की **वीरांगना** या उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को राज्य सरकार के नियमों के तहत नियोजन। पुत्र / पुत्री को

		पात्रता अर्जित करने तक शहीद की विधवा द्वारा यह अधिकार सुरक्षित रखा जा सकता है।
(घ)	**शिक्षा**	राजकीय विद्यालय, कालेज, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल, इंजिनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा। विद्यालय जाने वाले बच्चे प्रतिवर्ष 1800 रूपये छात्रवृत्ति प्राप्त करेगें। कालेज, तकनीकी, मेडिकल, इंजिनियरिंग शिक्षा के लिए यह राशि प्रतिवर्ष 3600 रूपये होगी। यह छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जावेगी।
(ड़)	**शहीद का सम्मान**	एक विद्यालय /औषधालय /चिकित्सालय / पंचायत भवन / मार्ग / पार्क / अन्य सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद सैनिक के नाम किया जावेगा।
(च)	**अन्य सुविधाऐं**	रा.रा.वि.म. द्वारा किसी भी कृषि भूमि, जो कि शहीद के परिवार के सदस्य के नाम से हो, के लिए 'आउट आफ टर्न' एक विद्युत कनेक्शन दिया जावेगा। रा.रा.प.प.नि. द्वारा शहीद की वीरांगना एवं उसके आश्रित बच्चों एवं शहीद के माता–पिता को डिलक्स एवं साधारण बस के लिए निःशुल्क रोडवेज पास जारी किया जावेगा।

(द) **<u>दिनांक 01.04.1999 एवं इसके पश्चात स्थायी विकलांग सैनिकों एवं उनके परिजनों को सुविधाएँ</u>** –

(क)	आर्थिक लाभ	5 लाख रूपये तथा 25 बीघा भूमि (इ.गा.न.परि. फेज –II) या 30 लाख रूपये नकद
(ख)	नियोजन	स्थाई युद्ध विकलांग सैनिक या उसके आश्रित पुत्र / पुत्री को राज्य सरकार के नियमों के तहत नियोजन।
<u>सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त</u> –कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों के आश्रितों (माता–पिता / पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) एवं विकलांग सैनिकों / अधिकारियों के नाम धारित सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से मुक्त रखा गया है ।		
नोट – शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में उसके माता–पिता को कारगिल पैकेज के पैरा 1 (क) का परिलाभ देय होगा परन्तु पैरा 1 (ख) का परिलाभ देय नहीं होगा।		

5. **<u>शौर्य पदक धारको को सुविधा</u>** – राजस्थान गेलेन्ट्री अवार्डस (नकद पुरूस्कार एवं भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत शौर्य पदकों से अलंकृत राजस्थान के सैनिकों को नकद राशि, भूमि तथा भूमि की ऐवज में नकद राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में निम्नानुसार नकद राशि, भूमि तथा भूमि की ऐवज में नकद राशि प्रदान की जा रही है –

परमवीर चक्र	20,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
अशोक चक्र	18,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	16,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
महावीर चक्र	15,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये

कीर्ति चक्र	10,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	9,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
वीर चक्र	8,00,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
शौर्य चक्र	8,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
युद्ध सेवा मेडल	6,50,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये
सेना / नौ / वायू सेना मेडल	6,25,000 नकद तथा 25 बीघा सिंचित भूमि इ.गा.न.प. फेज–2 में या भूमि के बदले नकद राशि 25.00 लाख रूपये

उपरोक्त के अलावा शौर्य पदक धारकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त हैं –

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, अति विशिष्ठ सेवा मेडल आदि धारकों को राजस्थान हाउस, नई दिल्ली तथा राजस्थान स्थित विश्राम भवनों में ठहरने पर इनसे राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भांति देय दर एवं निर्धारित अवधि तक आवास एव भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) सभी गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीफोन किराये में 50 प्रतिशत तथा वीरांगनाओं व गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को टेलीफोन इन्स्टालेशन चार्जेज में शत प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

(ग) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र धारकों को 220 वर्गमीटर का भूखण्ड निर्धारित आरक्षित दरों से कम पर दिए जाने का प्रावधान है।

(घ) गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को इंडियन एयर लाइन्स में हवाई सेवा किराये में 75 प्रतिशत छूट का प्रावधान हैं

(च) रेल्वे द्वारा प्रायोजित रेलों में सभी चक्र सीरीज धारकों को प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर में कम्पलीमेंटरी कार्ड पास का प्रावधान है।

(छ) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र एवं सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल अलंकरण विजेताओं / उनकी विधवाओं को प्राप्त पेंशन पर आयकर में छूट प्रदान की गई है।

(ज) शौर्य पदक धारकों को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई हैं।

6. **भूमि आवंटन हेतु नवीन नियम –** भूमि आवंटन संबंधी कठिनाईयों का समाधान करने के लिए उपनिवेशन विभाग द्वारा सशस्त्र सेनाओं एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के शहीद एवं स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों तथा शौर्य पदक धारकों को भूमि आवंटन के संबंध में वर्ष 2021 में नवीन नियम जारी किए गए हैं।

7. **पूर्व सैनिको की विधवाओं को दोहरी पेंशन'**–राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के समान भूतपूर्व सैनिको की विधवाओं को सैनिक सेवा की पारिवारिक पेंशन के साथ–साथ राज्य सरकार में की गई सेवा के बदले भी पारिवारिक पेंशन दी जाती है।

8. **नियोजन हेतु आरक्षण** – राजस्थान सरकार द्वारा राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया है। ''राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 एवं संशोधित नियम 1996 जारी कर अधिनस्थ एवं तृतीय श्रेणी सेवा वर्ग में 12.5 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग में 15 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित कर रखा है। उक्त नियमों के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों को अगले भर्ती वर्ष तक कैरी फारवर्ड का प्रावधान भी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त नियमों में संशोधन कर अप्रैल 1996 से समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया अपनाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी रिक्तियों के विरूद्ध निर्धारित प्रपत्र पर पात्रता के आधार पर आवेदन किया जा सकता है। रिक्तियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है एवं संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9. **सेना में 15 साल की सेवा ग्रेजुएट के समकक्ष** – सभी भूतपूर्व सैनिक जो कि सेना में भर्ती के समय 10वीं पास थे और सेना में 15 साल की सर्विस की है उन्हें राज्य सरकार के अधिनस्थ नौकरी के लिए ग्रेजुऐट के समकक्ष माना जाता है।

10. **नियोजन हेतु अवसरों में वृद्धि** – बजट भाषण वर्ष 2021–22 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है कि भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ–साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभव का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए Lateral entry से सरकारी सेवा में आने के अवसर 5000 भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किये जावेगें।

11. **पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु शैक्षणिक सुविधायें** –

(क) पूर्व सैनिकों की 1000 प्रतिभावान छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 100 रूपये एवं कालेज स्तर पर 150 रूपये प्रतिमाह निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(ख) 01.04.1999 के पश्चात विभिन्न ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के बच्चों के लिए सभी स्तर की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है :–

अ.	स्कूल स्तर पर	1800 रूपये सालाना
ब.	कॉलेज स्तर पर (तकनीकी शिक्षा सहित)	3600 रूपये सालाना

12. **टेट्रा प्लेजिक/पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिको को सहायता–** टेट्रा प्लेजिक / पैरा प्लेजिक पूर्व सैनिको को 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

13. **'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड'** – भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानजनक पुनर्नियोजन हेतु 'राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड' स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस निगम को 5 करोड रूपये की अंशपूंजी उपलब्ध करायी गयी है। निगम के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को राजकीय विभागों एवं उपक्रमों में सम्मानजनक तरीके से संविदा के आधार पर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में रेक्सको के माध्यम से लगभग 10,000 पूर्व सैनिकों को केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों तथा प्रतिष्ठानों में संविदा के आधार पर नियोजन प्रदान किया जा रहा है।

14. **वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र तथा बालक / बालिका छात्रावास–** प्रदेश में जयपुर, सीकर एवं झुंझुनूं में वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों तथा बालक–बाालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। कोटा में रहकर कोचिंग प्राप्त कर रही पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की पुत्रियों के लिए कोटा में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। नव–निर्मित वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र, जोधपुर का संचालन शीध्र प्रारम्भ किया जा रहा है। वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्रों में प्रथम

वरियता के आधार पर शौर्य पदक धारकों की वीरांगनाओं, उसके पश्चात शहीद की वीरांगना (बैटल कैजुअल्टी), युद्ध में विकलांग सैनिकों की पत्नी तथा स्थान उपलब्ध होने पर पूर्व सैनिक की वीरांगना को प्रवेश दिया जाता है। इसी प्रकार से बालक – बालिका छात्रावास में प्रथम वरियता के आधार पर शौर्य पदक धारक शहीद सैनिकों के बच्चे, उसके पश्चात शहीद सैनिक (बैटल कैजुअलिटी) के बच्चे, युद्ध विकलांग सैनिकों के बच्चे, भूतपूर्व सैनिक की विधवा के बच्चे तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

(क) **जयपुर –** राज्य का पहला वीरांगना छात्रावास एवं पुर्नवास केन्द्र जयपुर के विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में सेना एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 3.5 करोड की लागत से बनाया गया है। इस छात्रावास में 33 वीरांगनाओं के लिए आवासीय फ्लैट तथा 100 छात्र एवं 100 छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(ख) **झुन्झुनूं –** झुन्झुनू में संचालित वीरांगना छात्रावास में वीरांगनाओं के लिए 12 फ्लैट तथा 64 छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(ग) **सीकर –** सीकर के संचालित वीरांगना छात्रावास में 20 वीरांगनाओं के निवास तथा 80 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है।

(घ) **कोटा** – विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोटा में कोचिंग प्राप्त कर रही भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की 34 पुत्रियों के लिए कोटा के गॉधी नगर में बालिका छात्रावास संचालित है।

(च) **जोधपुर** – जोधपुर में 2000 वर्ग मीटर भूमि पर 6.5 करोड रूपये की लागत से 12 वीरांगनाओं तथा 64 छात्राओं के आवास हेतु वीरांगना छात्रावास का निर्माण करवाया गया है जिसका संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

15. सैनिक विश्राम गृह – पूर्व सैनिको को जयपुर एवं अन्य जिला मुख्यालयों / तहसीलों पर अस्थाई निवास की सुविधा हेतु राज्य में 36 सैनिक विश्राम गृह संचालित हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

प्रदेश के गौरव सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं तथा उनके परिजनों को अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति के माध्यम से देय सुविधाएँ

16. **भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ अमगलमेटेड फण्ड –** वर्ष 1970 में विभिन्न रियासतों के अधीन संचालित सैनिकों के कल्याणार्थ उपलब्ध फण्डों को मिलाकर 'अमलगमेटेड फण्ड' बनाया गया था जिसका नियंत्रण अमलगमेटेड फण्ड के नियमों के अन्तर्गत होता हैं। माननीय राज्यपाल महोदय की में अध्यक्षता में अमलगमेटेड फण्ड की प्रबन्धकारिणी समिति गठित है। प्रबन्धकारिणी समिति की समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाकर भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों के कल्याणार्थ निर्णय लिये जाते हैं।

17. **अमलगमेटेड फण्ड से देय सहायता / सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है–**

(क) विवाह के लिए आर्थिक सहायता – सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 25000 रूपये (प्रति कन्या) की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है, जिनके द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की हो। इस आर्थिक सहायता हेतु पुत्री के विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ख) **चिकित्सा सहायता** – पूर्व सैनिकों / आश्रितों को गंभीर प्रकृति की बीमारियों यथा कैंसर, कोढ़, टी.बी., गुर्दा, हृदय रोग, लकवा इत्यादि के इलाज हेतु अलग–अलग आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे या मानसिक रूप से विक्षिप्त सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नी एवं बच्चों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता जिन्हें सेना से डिसेब्लिटी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, को निम्नानुसार सहायता राशि 3 वर्षों के लिए प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसका नवीनीकरण उसके बाद समय–समय पर किया जावेगा –

क्र.सं.	डिसेब्लिटी का प्रतिशत	आर्थिक सहायता	वरियता
1.	40 प्रतिशत परन्तु 60 प्रतिशत से कम	1000 रूपये प्रतिमाह	तृतीय वरियता
2.	60 प्रतिशत परन्तु 80 प्रतिशत से कम	2000 रूपये प्रतिमाह	द्वितीय वरियता
3.	80 प्रतिशत एवं अधिक	3000 रूपये प्रतिमाह	प्रथम वरियता

(ग) तत्काल सहायता – पूर्व सैनिक एवं उनके परिजन जो कि सामाजिक / पारिवारिक / प्राकृतिक कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हो, निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है –

अध्यक्ष, अमलगमेटेड फण्ड – 30,000 रूपये
अध्यक्ष, उप समिति अमलगमेटेड फण्ड – 30,000 रूपये
निदेशक सैनिक कल्याण विभाग – 1,000 रूपये

(घ) छात्रवृत्ति – जेसीओ रैंक तक के सभी पूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। सिपाही से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के ऐसे बच्चे जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्हें प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत तथा अन्य किसी स्त्रोत से छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत नहीं है, को 15,000 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति राशि का प्रावधान है।

(च) **सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा उर्त्तीण करने पर अनुदान –** एनडीए/ सीडीएस/ आई एम ए/ एयर फोर्स नेवल अकादमी आदि की परीक्षा में उर्त्तीण अभ्यार्थियों को कोचिंग हेतु 15,000 रूपये अनुदान दिया जाता है।

18. **ध्वज दिवस –** सशस्त्र सेना ध्वज दिवस प्रतिवर्ष 7 दिसम्बर को मनाया जाता है, इस अवसर पर एकत्रित धन राशि को अमलगमेटेड फण्ड में जमा कर पूर्व सैनिकों के कल्याण में उपयोग किया जाता हैं।

शहीद सैनिकों के परिजनों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों एवं विधवाओं की समस्याओं का निराकरण

19. **जिला सैनिक बोर्ड –** सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिजनों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में ''जिला सैनिक बोर्ड'' का गठन किया हुआ है। इन समितियों की जिला तथा उपखण्ड स्तर पर समयबद्ध रूप से नियमानुसार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें स्थानीय स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जाकर सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं के निस्तारण में सहानुभूति–पूर्ण रवैया अपनाते हुए समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन कर उन्हें राहत पहुंचाई जाती है। अतः पूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इन समितियों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

20. **गौरव सेनानियों की रैलियॉं** – सेना के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले में गौरव सेनानियों के लिए रैली आयोजित की जाती हैं। रैली के दौरान विभिन्न राजकीय विभागों एवं बैंकों के अधिकारियों को आमन्त्रित किया जाता है तथा मौके पर ही पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की पेंशन तथा अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

21. **सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए ''भूतपूर्व सैनिक हेल्प लाईन'' –** दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा पूर्व सैनिकों की सहायता हेतु जयपुर तथा जोधपुर में ''एक्स सर्विसमैन हैल्प लाईन'' की स्थापना की गई है। इस हैल्पलाईन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने हेतु सहयोग किया जाता है तथा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

22. **सेवारत सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए कॉल सेन्टर –** प्रदेश के हजारों सैनिक जो कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दूर–दराज के इलाकों एवं दुर्गम सीमाओं पर तैनात रहते हैं तथा आतंक विरोधी कार्यवाही में सघन संलग्नता के कारण डयूटी के दौरान लम्बी अवधि तक बाहर परिवार से दूर रहते हैं और अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते, उनकी डयूटी के दौरान उनके परिवारों को आ रही समस्याओं को दर्ज कर एवं उनका निराकरण हेतु सैनिक विश्राम गृह, जयपुर में कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। यह कॉल सेंटर अन्य राजकीय कार्यालयों की तरह से कार्य करता है। कॉल सेंटर का नम्बर 0141–2201467 तथा E-Mail-rajsainiksahayta@gmail.com है।

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से सुविधाएँ

23. **पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके परिजनों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निम्नांकित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है :–**

(क) **पेन्यूरी ग्रान्ट –** हवलदार एवं समकक्ष रैंक के नॉन–पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 4000 रूपये प्रतिमाह पेन्यूरी ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है।

(ख) **छात्रवृत्ति –** हवलदार एवं समकक्ष रैंक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को स्नातक डिग्री तथा विधवाओं को स्नातनोत्तर डिग्री तक प्रतिमाह 1000 रूपये (अधिकतम 2 बच्चे) छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(ग) **दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता –** पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए 3000 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

(घ) **पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान –** हवलदार रैंक के पूर्व सैनिको एवं उनकी विधवाओं को पुत्री / विधवा पुत्री के पुनर्विवाह हेतु 50000 रूपये प्रति पुत्री आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।

(च) **चिकित्सा सहायता –** हवलदार रैंक के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को चिकित्सा हेतु दैनिक व्ययों के लिए 30000 रूपये प्रतिवर्ष आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(छ) **मकान मरम्मत हेतु अनुदान –** पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों तथा हवलदार रैंक के 100 प्रतिशत दिव्यांग पूर्व सैनिकों / विधवाओं को प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त हुए मकान की मरम्मत हेतु अधिकतम 20000 रूपये आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(ज) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) प्रशिक्षण के दौरान अनुदान –** हवलदार रैंक के पूर्व सैनिकों के बच्चों को एन.डी.ए. प्रशिक्षण के दौरान प्रति बच्चा 1000 रूपये प्रति माह आर्थिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(झ) **अंतिम संस्कार हेतु अनुदान–** पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार हेतु उसकी विधवा को 5000 रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

(ट) **अनाथ बच्चों को अनुदान –** पूर्व सैनिकों के अनाथ पात्र बच्चों को प्रतिमाह 1000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ठ) **व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अनुदान –** पूर्व सैनिकों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अधिकतम 20000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ढ) **गंभीर बिमारियों के इलाज हेतु अनुदान–** नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को गंभीर बिमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 125000 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ड) **<u>मोडिफाईड स्कूटर हेतु अनुदान</u> –** 50 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले पूर्व सैनिकों को मोडिफाईड स्कूटर हेतु 57500 रूपये का आर्थिक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

(ण) **<u>ऋण पर ब्याज हेतु अनुदान</u> –** युद्ध वीरांगनाओं तथा युद्ध दिव्यांगों द्वारा लिए गए ऋणों की ब्याज राशि के भुगतान हेतु अधिकतम 100000 रूपये तक आर्थिक अनुदान का प्रावधान है।

विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बेवसाईट www.ksb.gov.in का अध्ययन करें।